न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/39/2019	2019/00072	22.05.2019	30.04.2024

1. भगवान सहाय शर्मा पुत्र भौरेलाल।
2. श्रीमती बीना देवी पत्नि भगवान सहाय शर्मा, निवासीयान 4/279, काला कुआँ, अलवर राज0।

—अपीलार्थी

बनाम

1. हिमांशु शर्मा पुत्र भगवान सहाय।
2. श्रीमती कीर्ति जोशी पत्नि हिमांशु शर्मा, निवासीयान मकान नं0 4/279 काला कुआँ, अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर निर्णय दिनांक 24.01.2019 प्रकरण संख्या 3/41 अंतर्गत माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण—पोषण अधिनियम 2007

उपस्थितः—
01. श्री अमर सिंह यादव —वकील अपीलार्थी
02. श्री टीकम चन्द वैरवा —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 24.01.2019 प्रकरण संख्या 3/41 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स ने रैस्पो0 के खिलाफ एक प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5(1)(क) एवं (ख) सपठित धारा 23 व 24 राज0 माता—पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिस पर बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2019 के तहत उभय पक्ष को प्रश्नगत मकान के अलग अलग हिस्सो में शांतिपूर्वक निवास करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 व 2 को धारा 107, 116(3), 151 जा0फो0 के तहत परिशांति बनाये रखने के लिए 10—10 हजार रूपये के निजी बन्धक पक्ष पर पावन्द किये जाने के आदेश बेजा फरमाये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश दिनांक 24.01.2019 को सुनाया, जिसके तुरंत बाद ही मिन अपीलांट सं0 1 ने नकल के लिए निवेदन किया तो उन्होनें कहा कि अभी फैसला लिखा नहीं है, दो—चार दिन में आप नकल के लिए आवेदन कर देना। जिस पर मिन अपीलांट लगातार अधीनस्थ न्यायालय में कर्मचाही के पास नकल के लिए पूछताछ करता रहा, किन्तु हमेशा यह जाहिर किया गया कि अभी फैसला नहीं लिखा है। अन्त में दिनांक 27.03.2059 को फैसला लिखे जाने की जानकारी होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जो दिनांक 02.04.2019 को नकल प्राप्त हुई, उसके बाद मिन अपीलांट सं0 1 जो कि वरिष्ठ नागरिक है, बीमार हो गया और ईलाज में व्यस्त होने के कारण आज यह अपील बाद कानूनी सलाह बिना देरी पेश है। उपरोक्त देरी को कन्डोन किये जाने के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रा0पत्र पेश है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों से व दस्तावेजात से यह साबित पाया जाता है कि विवादित मकान सं0 4/279 मिन अपीलांट सं0 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जो राज0 आवासन मण्डल से आवंटित किया जाकर लीजडीड भी मेरे हक में निष्पादन व पंजीयन कराई जा चुकी है, जो तथ्य स्वंय अप्रार्थी रेस्पो0 ने भी स्वीकार किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाईडिंग दी है कि उभय पक्षों की दलीलों के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि अप्रार्थी सं0 2

जिला कलक्टर, अलवर

प्रार्थीगण के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार करती है व झूठे प्रकरणों में फंसाने की धमकी देती है। इसलिए अप्रार्थी सं0 2 से मकान खाली कराया जावें, किन्त उक्त फाईडिंग के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त मकान को खाली कराने का आदेश नहीं दिया बल्कि गलत तौर पर यह आदेश पारित किया है कि उभय पक्ष प्रश्नगत मकान के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्वक निवास करें, जो गलत है। कानूनन मिन अपीलांट सं0 2 के स्वअर्जित मकान में अप्रार्थी रेस्पो0 को निवास करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी रेस्पो0 सं0 2 की ओर से ना तो कोई काउन्टर क्लेम पेश किया गया और ना ही इस बाबत कोई अनुतोष चाहा गया। किन्तु उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने हर दो पक्षकारान को परिशांति कायम रखने के लिए आदेश दिये गये है। मिन अपीलांट सं0 1 एक सेवानिवृत कर्मचारी है, जिसे करीब 13 हजार रूपये मासिक पेंशन मिलती है, जिसमें भी तीन हजार रूपये मासिक नल व बिजली का खर्चा व दवाईयों का खर्चा व अन्य भरण पोषण आदि के लिए खर्चे की आवश्यकता है। अपीलांट सं0 2 एक घरेलू औरत है और उसकी कोई स्वंय आय नहीं है। जबकि अप्रार्थी सं0 1 जो गुरूग्रम हरियाणा में फैक्ट्री में कार्य करता है, को लगभग 18 हजार रूपये मासिक वेतन प्राप्त होता है एवं अप्रार्थी रेस्पो0 सं0 2 एम.ए.बी.एड. है जो घर पर ट्यूशन पढाने का कार्य करती है, इसके साथ–साथ सिलाई कढाई बुनाई आदि का कार्य भी करती है। जिससे उसकी वार्षिक आय कम से कम दो लाभ रूपये है। अपीलांट्स को अपने स्वंय के भरण पोषण आदि के लिए अप्रार्थी रैस्पो0 से कम से कम 20 हजार रूपये मासिक दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में ना तो कोई आदेश दिया और ना ही अपनी फाईडिंग में इस तथ्य के बारे में कोई कथन किया। इस प्रकार अपीलांट्स का केस गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। अपीलांट्स वरिष्ठ नागरिक, अक्सर बीमार रहते है। एक ही मकान में अलग–अलग पोर्सन में रहना किसी भी प्रकार से ना तो सम्भव है और साथ रहने से अप्रार्थी रेस्पो0 2 हमारे साथ आये दिन झगडा फसाद करती है शांतिपूर्वक निवास नहीं करने देती है और गाली गुप्तार आदि भी करती रहती है, जिससे अपीलांट्स की मानसिंह शांति भी बाधित होती है और नापूर्ति होने वाला नुकसान होता है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2019 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पूर्णतः स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा फरमावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 ने जवाब अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मकान नं0 4/279 अपीलांट सं0 2 की स्वंय की अर्जित सम्पत्ति है। उसे राज0 आवासन मण्डल से आवंटित किया जाकर लीजडीड भी अपीलांट सं0 2 के हक में निष्पादन व पंजीयन है। रैस्पो0 2 मिन रेस्पो0 1 की पत्नी है, जो आमदन मिन रेस्पो0 1 के माता–पिता अपीलांट्स से लडाई झगडा करती थी व झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती थी व गतल तथ्यों के आधार पर रेस्पो0 2 ने मिन रेस्पो0 1 व अपीलांट्स के खिलाफ झूठा मुकदमा फौजदारी व अशलील हरकत व 354 आईपीसी का प्रकरण अपीलांट सं0 1 के खिलाफ किया। अपीलांट सं0 2 की सम्पत्ति में रैस्पो0 2 को रिहायश रखने का कोई हक व अधिकार नहीं है चूंकि अपीलांट्स ने रैस्पो0 को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल किया हुआ है व इस बाबत दैनिक भास्कर अखवार में साया भी कराया जा चुका है लेकिन तहत अदालत ने इस अहम बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया। रैस्पो0 सं 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया व ना कोई अनुतोष चाहा गया था लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हर दो पक्षकारान को परिशांति कायम रखने का आदेश गतल तरीके पर पारित किया है। मिन रेस्पो0 1 गुरूग्राम में हॉस्पिटल में कार्यरत है। जहां मिन रेस्पो0 सं0 1 को 25000 रू0 वेतन मिलता है व 25000 रू0 में से 8000 रू0 किराये का व 2000 रू0 नल व बिजली के खर्चे और 10000 रू0 खाना खुराक व अन्य खर्चे में राशि खर्च हो जाती है। रेस्पो0 सं0 2 एम.ए.बी.एड. है जो घर पर ट्यूशन पढाने का कार्य करती है, इसके साथ–साथ सिलाई कढाई बुनाई आदि का कार्य भी करती है। जिससे उसकी वार्षिक आय कम से कम दो लाभ रूपये है। रेस्पो0 2 ने मिन रेस्पो0 1 व अपीलांट्स के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा सक्षम न्यायालय पेश किया। सक्षम न्यायालय ने बीच में पडकर पक्षकारान को राजीनामा करने के लिए प्रेरित किया। जिस कारण मिन रेंस्पो0 1 ने अलग से किराये का मकान लिया व मालिक जायदाद को अग्रिम किराया दिया व मिन रेस्पो0 1 ने किरायानामा तहरीर व तकमील किया लेकिन रेस्पो0 2 अपने पीहर वालो के बहकावे में होने के कारण रेस्पो0 2 मिन रेस्पो0 1 के साथ बतौर पत्नी नहीं रही व रैस्पो0 2 ने विवादित जायदाद पर अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये हुए है। जिसका हक व अधिकार नहीं है। जिस कारण मिन रेस्पो0 1 ने रेस्पो0 2 के खिलाफ सक्षम न्यायालय में तलाक का

जिला कलक्टर, अलवर

प्रकरण दायर कर रखा है जो विचाराधीन है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 2 ने जवाब अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट्स को निर्णय दिनांक 24.01.2019 की जानकारी आरम्भ से रही है। क्योंकि अपीलांट्स निर्णय पारित होने के दिन अधीनस्थ न्यायालय में मय अधिवक्त उप0 थे। पारित निर्णय विधिक है। खिलाफ अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील पेश करने में हुई देरी का दिन प्रतिदिन का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए अपीलांट्स मियाद के बिन्दू पर कोई नरम रूख प्राप्त करने व अपील को अन्दर मियाद ग्रहण कराने के अधिकारी नहीं है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादित मकान सं0 4/279 अपीलांट सं0 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं और उक्त मकान में ही विवाह के बाद से मिन रेस्पो0 2 निवास कर रही है। मिन रेस्पो0 2 के पिता ने विवाह में 11 लाख रू0 नगद दिये थे तथा जेवर कपडा आदि मिलाकर कुल करीब 20 लाख रू0 विवाह में खर्च किये थे तथा मिन रेस्पो0 2 के पिता ने उक्त राशि 11 लाख नगद व जेवर कपडे आदि अपीलांट सं0 1 व 2 व रेस्पो0 1 को विवाह के समय सुपुर्द किये थे, जो उन्हीं के अधिपत्य व अधिकार में है। मिन रेस्पो0 द्वारा अपीलांट्स के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, ना ही झूंठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी है, बल्कि अपीलांट्स व रैस्पो0 1 ने मिलकर मिन रेस्पो0 के साथ गाली गलौच व मारपीट कर मानसिक, शारीरिक, शाब्दिक एवं भावनात्मक रूप से प्रताडित करते रहे है तथा मिन रेस्पो0 व उसकी बच्ची का पालन पोषण भी नहीं करते है तथा मकान में निवास करने में निरन्तर बाधा पैदा करते है। अपीलांट सं0 1 को 13 हजार रू0 मासिक पेंशन मिलती है तथा रेस्पो0 1 आरटीमिश हॉस्पिटल गुडगांवा में मेल नर्स के पद पर कार्यरत है, जिसे करीब 50,000रू0 मासिक वेतन मिलता है। मिन रेस्पो0 2 पढी लिखी महिला जरूर है लेकिन सामाजिक घरेलू महिला है, जो घर पर ही बच्ची सहित रहती है, क्योंकि अपीलांट्स व रेस्पो0 1 मिन रेस्पो0 2 को घर से नहीं निकलने देते है, घर से बाहर जाने पर घर को ताला लगा देते है। ऐसी सूरत में रेस्पो0 2 का घर से बाहर जाकर पढाना व अन्य कोई कार्य कर आजीविका कमाना संभव नहीं है। रेस्पो0 2 अपनी बच्ची के साथ शांतिपूर्वक निवास करती है, किसी के साथ कोई झगडा फसाद नहीं करती है। दिनांक 27.06.2018 व दि0 28.06.2018 को अपीलांट्स व रेस्पो0 1 द्वारा मिन रेस्पो0 2 के साथ मारपीट कर उसको बेईज्जत किया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 374/2018 अपराध अंतर्गत धारा 323, 342, 354 आईपीसी पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में जरिये इस्तगासा मिन रेस्पो0 2 द्वारा दर्ज करायी गयी। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान अपीलांट्स व रैस्पो0 1 को दोषी पाया गया। जिस कारण अग्रिम जमानत हेतु प्रा0पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 22.10.2018 को खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 04.12.2018 को अपीलांट्स का उच्च न्यायालय द्वारा धारा 438(2) दण्ड प्रकिया संहिता की पालना करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रा0पत्र स्वीकार किया गया तथा मिन रेस्पो0 2 ने अपीलांट्स व रेस्पो0 1 के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 18, 19, 20, 21, 22 व 23 व घरेलू घटना रिपोर्ट न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 3 अलवर में पेश किया। अपीलांट्स व रेस्पो0 1 कब्जे में मिन रेस्पो0 2 के पिता द्वारा विवाह के समय दिये गये 11 लाख रू0 नगद व सोने चांदी के जेवरात व समस्त स्त्रीधन है, जिसको वे गलत हथकण्डे अपनाकर हडप करना चाहते है तथा मिन रेस्पो0 2 को बच्ची सहित उक्त प्रकरण की आड में मकान से बेदखल कर उक्त मकान को बेचान करना चाहते है। जिससे मिन रेस्पो0 2 उक्त मकान में कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकें। बच्ची का समस्त खर्चा मिन रेस्पो0 के पिता द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रा0पत्र घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की पत्रावली सक्षम न्यायालय में बहस हेतु नियत है तथा अपीलांट्स व रेस्पो0 1 द्वारा मिन रेस्पो0 2 के साथ मारपीट व बेईज्जत करने के संबंध में उक्त प्रकरण विचाराधीन है। अपीलांट्स मिन रेस्पो0 2 के खिलाफ कानूनन कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः अपील अपीलांट्स मय हर्जा खर्चा विशेष 20,000 रू0 खारिज फरमायी जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अपीलांट्स द्वारा रेस्पो0 सं0 2 को रिहायशी मकान से बेदखल करने हेतु अनुतोष चाहा गया है। रेस्पो0 सं0 2 अपीलांट्स की पुत्रवधु है जो रेस्पो0 सं0 1 की पत्नी है। अपीलांट्स स्वंय एक सेवानिवृत कर्मचारी है, जिसे पेंशन मिलती है एवं रेस्पो0 सं0 1 जो अपीलांट्स के पक्ष में है, को भी मासिक वेतन प्राप्त

जिला कलक्टर, अलव

होता है। पक्षकारों के मध्य आपस में कई वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। अपीलांट्स व रेस्पो0 सं0 1, रेस्पो0 सं0 2 को अपने रिहायशी मकान से बेदखल करना चाहते है, जो उक्त अधिनियम की परिभाषा में नहीं आते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसिम्मत् है। उक्त निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का निर्णय दिनांक 24.01.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * अलवर (राज0) *

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)